मण्डल:- देवीपाटन,जनपद:- गोंडा,तहसील:- तरबगंज

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 5244/2022

पुनीत तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202283047065244

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 11/08/2022

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही महेश फाउन्डेशन एफ 1212 राजाजी पुरम लखनऊ (उ0प्र0) द्वारा श्री पुनीत तिवारी पुत्र राज कुमार तिवारी महासचिव न्यास के द्वारा उ0प्र0रा0सं0 की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से कहा गया है कि आवेदक पुनीत कुमार पुत्र राज कुमार द्वारा ग्राम गंगरौली में स्थित गाटा संख्या 1807/1 0760हे0 को राजस्व संहिता 80 के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्रफल को अकृषक/व्यवसायिक/आबादी भूखण्ड घोषित किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी स्थलीय जांच किया गया, मौके पर ग्राम गंगरौली की गाटा संख्या 1807/0.0760हे0 सम्पूर्ण परती पड़ी है। उस पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि सिलिंग से प्रभावित नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार तरबगंज से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार तरबगंज द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 1807/1 0760हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने विषयक जांच आख्या के आधार पर अपनी आख्या दिनांक 26.07.2022 को इस न्यायालय पर प्रेषित की गयी है। वाद दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। खतौनी खाता संख्या 1001 (1428-1433फ0) के गाटा संख्या 1807/1 0760हे0 भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज तन्हा दर्ज अभिलेख है तथा कोई आपत्ति पत्रावलित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों एवं प्रभारी तहसीलदार तरबगंज की जांच आख्या एवं ग्राम गंगरौली परगना ग्वारिच तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा की खतौनी वर्ष 1428-1433फ0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 1001 (1428-1433फ0) के गाटा संख्या 1807/1 0760हे0 भूमि पर बतौर आवेदक का नाम बतौर तन्हा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसीलदार तरबगंज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आवेदक द्वारा गाटा संख्या 1807/1 0760हे0 भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है और न ही किसी महानगर परियोजना से आच्छादित है। वादी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की कृषि दर से मालियत रू0 26,90,000 का एक प्रतिशत 26,900रू0 उद्घोषणा शुल्क जरिए चालान संख्या 10 दिनांक 04.08.2022 तथा इतनी ही धनराशि का न्यायालय शुल्क स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार गाटा संख्या 1807/1.0760हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः ग्राम गंगरौली परगना ग्वारिच तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा की खतौनी सन् 1428-1433फ0 के खाता संख्या 1001 पर आवेदक के नाम अंकित गाटा संख्या 1807/1 0760हे0 भूमि को उ0प्र0रा0सं0,2006 की धारा 80(2) के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार तरबगंज की जांच आख्या दिनांक 26.07.2022 व नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। यदि भूमिधर इस धारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धित गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहा तो उप धारा-2 के अधीन जोत की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक तरबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11.8.22

(शत्रुहन पाठक)

उपजिलाधिकारी,

तरबगंज-गोण्डा।